राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2012 जयपुर, दिनांकः 20 APR 2017

अधिसूचना

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 90–क की उपधारा (9) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना दिनांक 31.05.2012 द्वारा नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि के संबंध में समस्त जिला कलेक्टर्स को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर ऐसे अधिकारी के रूप में अधिकृत किया गया था जिसके समक्ष उक्त अधिनियम की धारा 90–क के अन्तर्गत किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित व्यक्ति द्वारा उप–धारा (9) के प्रावधानों के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की जावेगी।

विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2012 दिनांक 07.10.2014 को अधिक्रमित करते हुए, उक्त अधिसूचना में संशोधन करते हुए समस्त नगर सुधार न्यासों/प्राधिकरणों एवं स्थानीय निकायों में धारा 90–क के अन्तर्गत किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित व्यक्ति द्वारा उप धारा (9) के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील के निस्तारण हेतु जिला कलक्टर के स्थान पर संबंधित संभागीय आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(जगजीत सिंह मोंगा)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव (प्रथम), माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
5. आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त,(समस्त) राजस्थान।
7. जिला कलक्टर, (समस्त) राजस्थान।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने स्तर पर समस्त स्थानिय निकायों को सूचित करावें।
9. संयुक्त शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), नगरीय विकास विभाग, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक नविवि।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्रधिकरण।
12. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान
13. सचिव, नगर सुधार न्यास, (समस्त) राजस्थान
14. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रति मय साफ्ट कॉपी (सीडी) प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना का राजपत्र के असाधाररण अँक के आगामी दिनांक में प्रकाशित कराकर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय
20/4/17